



— राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

कमाक प.2/सब/4790/आ.कृ./गुप-9/

दिनांक

शुद्धि-पत्र

आयुक्तालय के आदेश कमांक प.2(3)(ब)(3817)/आ.कृ./11896-12095 दिनांक 20.03.2019 द्वारा, कृषि पर्यवेक्षक के सेवानिवृत्त आदेश प्रसारित किये गये थे उक्त आदेश में अंकित निम्न कृषि पर्यवेक्षकों की पदोन्नति सहायक कृषि अधिकारी के पद पर होने के फलस्वरूप उक्त आदेश में निम्न अनुसार संशोधन किया जाता है :-

1. क्रम संख्या 37 पर अंकित श्री गिरधारी लाल सांखला का पदनाम कृषि पर्यवेक्षक के स्थान पर सहायक कृषि अधिकारी एवं पदस्थापन कार्यालय का नाम सहायक निदेशक कृषि (वि)जौधपुर पढा जावे ।
2. क्रम संख्या 48 पर अंकित श्री दिनेश कुमार शर्मा का पदनाम कृषि पर्यवेक्षक के स्थान पर सहायक कृषि अधिकारी एवं पदस्थापन कार्यालय का नाम सहायक निदेशक कृषि (वि)जौधपुर किया पढा जावे ।
3. क्रम संख्या 49 पर अंकित श्री चतुर्भज का पदनाम कृषि पर्यवेक्षक के स्थान पर सहायक कृषि अधिकारी एवं पदस्थापन कार्यालय का नाम सहायक निदेशक कृषि (वि)बारा पढा जावे ।
4. क्रम संख्या 63 पर अंकित श्री अभय कुमार जैन का पदनाम कृषि पर्यवेक्षक के स्थान पर सहायक कृषि अधिकारी एवं पदस्थापन कार्यालय का नाम सहायक निदेशक कृषि (वि)चूरु पढा जावे ।

(सीताराम जाट)

संयुक्त निदेशक कृषि(प्रशासन)

दिनांक 27/10/2020

कमाक प.2/सब/4790/आ.कृ./गुप-9/ 11817-32
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- आयुक्त, उद्यान विभाग, राजस्थान जयपुर ।
- 2- संयुक्त निदेशक कृषि (वि)जौधपुर/बीकानेर/कोटा ।
- 3- उप निदेशक कृषि (वि) जौधपुर/चूरु/बारा ।
- 4- सहायक निदेशक कृषि (वि) जौधपुर/चूरु/बारा ।
- 5- सहायक निदेशक उद्यान,चूरु ।
- 6- सम्बन्धित कर्मचारी श्री ।
- 7- निजी पंजिका ।

(उदयमान सिंह)

उप निदेशक कृषि (प्रशासन)